

अनुसूची

SCHEDULE

लाइसेंस सं. सीएम/एल-7100084705

LICENCE NO. CM/L -7100084705

नाम : अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट VI
 फैक्ट्री एड्रेस : सर्वे नं- 1/2, गाँव- खुटली, खानवेल, खुटली - 396230, दादरा & नगर हवेली
 विधिमान्यता : ग्यारह दिसम्बर दो हजार चौबीस से दस दिसम्बर दो हजार पच्चीस
 Name : APAR INDUSTRIES LIMITED, UNIT VI
 Factory Address : SURVEY NO- 1/2, VILLAGE - KHUTLI, KHANVEL, KHUTLI - 396230, DADRA & NAGAR HAVELI
 Validity : From Eleventh December Two Thousand Twenty Four to Tenth December Two Thousand Twenty Five

मानक चिह्न STANDARD MARK	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S)	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENCE	चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 398  PART 5 CM/L- 7100084705	IS 398 : PART 5 : 1992 शिरोपरि प्रेषण उद्देश्यों के लिए एल्युमिनियम चालक : भाग 5 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (400 kV और अधिक) के लिए जस्तीकृत-इस्पात -प्रबलित एल्युमिनियम के चालक IS 398 : PART 5 : 1992 Aluminium conductors for overhead transmission purposes: Part 5 Aluminium conductors - galvanized steel reinforced for extra high voltage (400 kV and above)	एल्युमिनियम चालक -गैल्वेनाइज्ड स्टील- अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ओवरहेड पावर लाइनों (400 kV और अधिक) के लिए प्रबलित, 690 mm ² (नोमीनल एल्युमिनियम एरिया) तक के आकार के लिए Aluminium Conductors-Galvanized Steel- Reinforced for Extra High Voltage overhead power lines (400 kV and above), for sizes up to and including 690 mm ² (Nominal Aluminium Area)	एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹ 60000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹ 34.60 प्रति इकाई इकाई: 1 TON ₹ 34.60 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of ₹ 60000.00 during an operative period of one year Unit: 1 TON एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज 31 दिसम्बर दो हजार चौबीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया।

Signed, Sealed and Dated this 31 December Two Thousand Twenty Four .

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


एस के सिंह/ S K Singh

वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख /Senior Director and Head